संख्या-216/पाँच-9-2020

प्रेषक,

विजय विश्वास पन्त,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 04 अप्रैल, 2020

विषय: -कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम में तैनात चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टॉफ को आवासीय सुविधा (मय लाण्ड्री एवं भोजन) की दरों के निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-प0क0/महा0निदे0/कैम्प/2020-21/858, दिनांक 03.04.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रश्नगत प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-737/पांच-5-2020, दिनांक 27.03.2020 जिसमें प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में कोविड समर्पित स्तर-। चिकित्सा इकाईयां एवं आइसोलेशन वार्डस बनाने हेतु विस्तृत परिचालन दिशा-निर्देश दिये गये हैं, के बिन्दु संख्या-5 में सक्रिय एवं निष्क्रिय संगरोध सुविधा के लिये टीम की तैनाती एवं दोनों संगरोध सुविधा टीम में आवश्यक सुविधायें यथा आवश्यक भोजन, पानी, सुरक्षा, ठहरने एवं मरम्मत आदि की समुचित व्यवस्था कराये जाने हेतु भी विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

3- उल्लेखनीय है कि उक्त दोनो संगरोध में आवश्यक सुविधायें यथा खान-पान एवं रात्रि विश्राम आदि की समुचित व्यवस्था कराये जाने के दृष्टिगत सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यालय ज्ञाप संख्या-236/एस0एम0(वी0)/2020-21 दिनांक 02.04.2020 द्वारा महानिदेशक, परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति/कार्यवृत्त पत्र संख्या-प0क0/महा0निदे0/कैम्प/2020-21/857, दिनांक 03.04.2020 के क्रम में आपके पत्र संख्या-प0क0/महा0निदे0/कैम्प/2020-21/858, दिनांक 03.04.2020 के माध्यम से समिति की आख्या एवं प्रस्तावित रेट निम्नानुसार उपलब्ध करायी गयी है:-

क्र0सं0	नगर की श्रेणी	प्रति व्यक्ति संस्तुत धनराशि (रूपये में)
1	'ए' श्रेणी के नगर	1500/-
2	'बी' श्रेणी के नगर	1250/-
3	'सी' श्रेणी के नगर	1000/-

उपरोक्त के अतिरिक्त भोजन पर व्यय रू0 500/- (रूपये पांच सौ) प्रतिदिन, प्रतिव्यक्ति व्यय की भी संस्तुति समिति द्वारा की गयी है।

4- चूँकि स्तर-1 समर्पित इकाई में सेवारत चिकित्सकों एवं अन्य स्टॉफ अत्यधिक विषम परिस्थितियों में कार्य करेंगे एवं उनको मानसिक रूप से सबल किया जाना आवश्यक है। अत: ऐसी परिस्थिति में एवं उक्त समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के दृष्टिगत स्तर-1 फैसिलिटी में सक्रिय संगरोध के रख-रखाव, आवासीय दर एवं आने वाले खान-पान की दर को उपरोक्तानुसार संस्तुत दरों की सीमा तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0

के माध्यम से सुसंगत मदों के अन्तर्गत् व्यय किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है।

5- उपरोक्त स्वीकृति चिकित्सा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-737/पांच-5-2020, दिनांक 27.03.2020 एवं राजस्व अनुभाग-11 की अधिसूचना संख्या-195/एक-11-2020-रा0-11, दिनांक 24.03.2020 तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन होगी तथा जहाँ कहीं भी आवश्यक होगा सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जायेगा।

6- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 उपरोक्तानुसार धनराशि सुसंगत मदों के अन्तर्गत व्यय किये जाने हेतु पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(विजय विश्वास पन्त)
सचिव।

संख्या-216(1)/पाँच-9-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
2- महालेखाकार (द्वितीय), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।
4- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
5- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
6- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, उ0प्र0।
7- समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।
8- अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।
9- मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण महानिदेशालय/एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/चिकित्सा अनुभाग-5/6/राजस्व-11, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
विशेष सचिव।

के माध्यम से सुसंगत मदों के अन्तर्गत् व्यय किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है।

5- उपरोक्त स्वीकृति चिकित्सा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-737/पांच-5-2020, दिनांक 27.03.2020 एवं राजस्व अनुभाग-11 की अधिसूचना संख्या-195/एक-11-2020-रा0-11, दिनांक 24.03.2020 तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन होगी तथा जहाँ कहीं भी आवश्यक होगा सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जायेगा।

6- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 उपरोक्तानुसार धनराशि सुसंगत मदों के अन्तर्गत व्यय किये जाने हेतु पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(विजय विश्वास पन्त)
सचिव।

संख्या-216(1)/पॉच-9-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
2- महालेखाकार (द्वितीय), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।
4- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
5- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
6- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, उ0प्र0।
7- समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।
8- अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।
9- मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण महानिदेशालय/एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/चिकित्सा अनुभाग-5/6/राजस्व-11, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
विशेष सचिव।